आर.ई.ओ.-200

कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम एवं अध्यक्ष अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम

विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर

क्रमांक.अध्यक्ष/डिस्कॉमस/अ.अ.(ग्रा.वि.)/प.1201/प्रे 687 जयपुर, दिनांकः-02.07.08

आदेश

विषयः मार्च,2003 के पश्चात स्पेशल श्रेणी के कृषि आवेदक जिन्होने 31.03.2003 तक सामान्य श्रेणी में आवेदन कर रखा था, को सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

आर.ई.ओ.-194 दिनांक 21.04.08 के द्वारा 31मार्च,2003 तक के स्पेशल श्रेणी के कृषि आवेदकों को सामान्य श्रेणी की प्राथमिकता में मूल आवेदन तिथि के अनुसार इन्द्राज करके मांग पत्र नियमानुसार जारी कर कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया था।

जिन कृषि आवेदकों ने 31.03.2003 तक सामान्य श्रेणी में आवेदन कर रखा था तथा 31.03.2003 के पश्चात स्पेशल श्रेणी में तुरंत कनेक्शन चाहने हेतु परिवर्तित करा लिया लेकिन ऐसे आवेदकों को स्पेशल श्रेणी के मांग पत्र जारी करने पर आर.ई.ओं.-125 दिनांक 05.05.2005 के द्वारा रोक लगाने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किये जा सके।

अतः किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कृषि आवेदक जिन्होने 31 मार्च, 2003 तक सामान्य श्रेणी में आवेदन कर रखा था तथा 31.03.2003 के पश्चात तुरंत कृषि कनेक्शन चाहने हेतु स्पेशल श्रेणी में परिवर्तन करा लिया ऐसे कृषि आवेदकों को सामान्य श्रेणी की प्राथमिकता में मूल सामान्य श्रेणी की आवेदन तिथि के अनुसार इन्द्राज करके मांग पत्र नियमानुसार जारी कर कनेक्शन जारी कर दिया जाये।

2/7/08

(आर.जी.गुप्ता)
अध्यक्ष डिस्कॉमस